

318

- 1. अंचल का नाम :- नगड़ी
- 2. सीमांकन वाद संख्या :-
- 3. आवेदक का नाम एवं पता :- महीन्द्र साहु, 80 स्व० वंशी साहु, पट्टन टोली, अरगोडा
- 4. आवेदित भूमि का विवरण :- मौजा स्वपारोम खाता 173
प्लॉट 336 रकबा 05-51०
- 5. भूमि का पट्टा एवं तिथि :- पट्टा सं० 16658 दिनांक - 13-10-09
- 6. पट्टा में अंकित चौहदी :- उत्तर रॉकी मुमला भुव्ण मार्ग दक्षिण स्व लॉट - 775
पुरब स्व लॉट - 776 पश्चिम स्व लॉट - 776

- 7. मापी की जाने वाली भूमि खाली है अथवा चाहर दीवारी के अंदर है :- चाहरदीवारी
- 8. सीमांत रैयत का नाम जिसे विवाद होने की संभावना है :-
- 9. सीमांत रैयत का कागजात का विवरणी :- मौजा स्वपारोम खाता 173
प्लॉट 336 रकबा 05-51०

- 10. आवेदित भूमि का माल गुजारी रसीद अद्यतन है या नहीं :- हैं।
- 11. आवेदित भूमि गै० खास / आम / भूदान / भूहदबंदी / आदिवासी खाता वन भूमि / सैरात / केसरे हिन्द / खास महल से संबंधित है या नहीं :- नहीं
- 12. भूमि से संबंधित मामलर किसी न्यायालय से लंबित है या नहीं :- नहीं
- 13. सीमांकन हेतु स्पष्ट अनुसंसा / मंतव्य :- आवेदित भूमि सर्वे स्थितिमान में शिवनाथ

राघ वी लैंडनाथ राघ पैशरान चमनराघ कौम भांट स्वकिन मेराल के नाम पर दर्ज हैं। पंती II में महीन्द्र साहु पिता स्व० वंशी साहु के नाम पर जमावेदी कायम हैं। जिसका दा० खा० वाद सं० 1696 R27/09-10 एवं रकबा - 05-51० हैं। आवेदक द्वारा 05-51० भूमि का चाहरदीवारी कराने के लिए नापी का आवेदन किया है। आवेदक का फखल कबजा है। आवेदक का भूमि का नामी किया जा सकता है।

रा० कर्मचारी नगड़ी
 अ० निरीक्षक नगड़ी
 अंचल अधिकारी नगड़ी

कार्यालय अंचल अधिकारी, नगड़ी, राँची।

—: आदेश पत्रक :-

देखें अभिलेख हस्तक- 1941 का विवरण नियम-129

आदेश पत्रक, तारीख

तक जिला-राँची,

मापी वाद संख्या

05/16-17 वर्ष :- 2016-2017

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर:-

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

आवेदक महीन्द्र झाडु (पिता/पति) का

नाम स्व० केसी झाडु ग्राम- पहान रोड़ी :


पो०- थाना- जिला राँची ने

निम्नलिखित भूमि के मापी हेतु आवेदन दिया है।

भूमि का विवरण

मौजा एवं थानान०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	
			एकड़	ई०
<u>सपारौम</u>	<u>173</u>	<u>776</u>		<u>0.55/0</u>

आवेदन पर संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा किया गया है। आवेदक एवं विपक्षी से कागजात की मांग दिनांक:- 16.8.16 तक करें। चौहद्दीदार को नोटिस करें। अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग करें।



अंचल अधिकारी, नगड़ी,
राँची।

6
512

16/8/16

आभिलेख उपास्थापित। नोटिश तामिला प्राप्त। आवेदक द्वारा उपरिभूती दी गई। विपक्षी अनुपास्थित। पुनः नोटिश निर्गत करें।

आभिलेख दिनांक 2/9/16 को रखें।


अंचल अधिकारी
गाड़ी रोपी


29.16

आभिलेख उपास्थापित। नोटिश तामिला प्राप्त। आवेदक एवं विपक्षी अनुपास्थित। पुनः नोटिश निर्गत करें।

आभिलेख दिनांक 18.4.17 को रखें।


अंचल अधिकारी
गाड़ी रोपी

आभिलेख उपास्थापित। नोटिश तामिला प्राप्त। आवेदक एवं विपक्षी अनुपास्थित। पुनः अंतिम नोटिश निर्गत करें। आभिलेख दिनांक 11.5.17 को रखें।



अ. अ. गाड़ी

S-17

आभिलेख उपास्थापित। नोटिश तामिला प्राप्त। आवेदक एवं विपक्षी अनुपास्थित। पुनः अंतिम नोटिश निर्गत करें। आभिलेख दिनांक _____ को रखें।


11/5/17
अ. अ. गाड़ी

अभिलेख उपस्थापित। कावेदक को शूल कागजत प्रस्तुत
 करने हेतु नोटिस निर्गत करें किया गया। मोरिश ताम्बिया
 को परचार कावेदक द्वारा कोड़े को कागजत प्रस्तुत
 किया गया न ही नापी में खर्च दिखाना गया। इससे
 ताली प्रतीत होगा है कि कावेदक को शामिल करने के
 कोड़े खर्च नहीं है अतः अभिलेख को कार्टनार्ड बंद की जाती
 है।


 10/11/17
 अ. 31-11/57